न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज0)

ीठासीन अधिकारी–मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस0

पील संख्या 06 / 2022 आरसीएमएस 91 / 0072

ूरी उम्र करीब 68 वर्ष पुत्री स्व0 तुरसी पत्नि नेकराम सिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम ोर तहसील व जिला धौलपुर हाल निवासी नगला ककरारी ककुआ तहसील सदर जिला ागरा उ0प्र0 ---अपीलान्टा

बनाम

1. ग्राम पंचायत पुरानी छावनी, पंचायत समिति धौलपुर
2. मृदुला जैन पत्नि सुभाषचन्द जैन जाति जैन निवासी हरदेव नगर धौलपुर
3. सुरेन्द्र कुमार जैन पुत्र भागचन्द जैन जाति जैन निवासी पुराने बिजलीघर के सामने भामतीपुरा रोड़ धौलपुर
4. हेमलता जैन पत्नि सुरेन्द्रकुमार जैन जाति जैन निवासी पुराने बिजलीघर के सामने भामतीपुरा रोड धौलपुर
5. कालीचरन पुत्र देवीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी घण्टाघर रोड धौलपुर
6. दीनानाथ पुत्र छत्रशाल जाति काछी निवासी झोर तहसील व जिला धौलपुर
7. नत्थीलाल पुत्र रामदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी कायस्थपाडा धौलपुर
8. हरीकान्त शर्मा पुत्र स्व. बाबूलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कैथहरी रिसोर्ट जी.टी. रोड धौलपुर
9. अंगूरी पत्नि बाबूलाल जाति कुशवाह निवासी बाडी रोड झोर तहसील धौलपुर
10. छोटीबाई पुत्री तोताराम जाति कुशवाह निवासी बाडी रोड झोर तहसील धौलपुर
11. मनीषा पुत्री तोताराम जाति कुशवाह निवासी बाडी रोड झोर तहसील धौलपुर
12. भगवानदास पुत्र तोताराम जाति कुशवाह निवासी बाडी रोड झोर तहसील धौलपुर
13. बालकिशन पुत्र तोताराम जाति कुशवाह निवासी बाडी रोड झोर तहसील धौलपुर
14. रामू पुत्र तोताराम जाति कुशवाह निवासी बाडी रोड झोर तहसील धौलपुर
15. कन्हैया पुत्र बाबूलाल जाति कुशवाह निवासी बाडी रोड झोर तहसील धौलपुर
16. पप्पू पुत्र बाबूलाल जाति कुशवाह निवासी बाडी रोड झोर तहसील धौलपुर
17. मंगलिया पुत्री बाबूलाल जाति कुशवाह निवासी बाडी रोड झोर तहसील धौलपुर
18. सुविधा पुत्री बाबूलाल जाति कुशवाह निवासी बाडी रोड झोर तहसील धौलपुर
19. राजनदेई पत्नि तोताराम जाति कुशवाह निवासी बाडी रोड झोर तहसील धौलपुर
20. सुनीता पुत्री बाबूलाल जाति कुशवाह निवासी बाडी रोड झोर तहसील धौलपुर
21. विमला पत्नि महावीर रस्तोगी जाति वैश्य निवासी धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

2. शकील अहमद पुत्र अब्दुलकदीर जाति मुसलमान निवासी मलकपाडा बाडी हाल निवासी नरसिंह रोड धौलपुर
3. शाहिद अली पुत्र अब्दुलकदीर जाति मुसलमान निवासी मलकपाडा बाडी हाल निवासी नरसिह रोड धौलपुर
4. राशिदअली पुत्र अब्दुलकदीर जाति मुसलमान निवासी मलकपाडा बाडी हाल निवासी नरसिंह रोड धौलपुर
5. आरिफअली पुत्र अब्दुल कदीर जाति मुसलमान निवासी मलकपाडा बाडी हाल निवासी नरसिंह रोड धौलपुर
6. वहीदाखातून पत्नि अब्दुलकदीर जाति मुसलमान निवासी मलकपाडा बाडी हाल निवासी नरसिंह रोड धौलपुर
7. अब्दुलसईद पुत्र अब्दुलकदीर जाति मुसलमान निवासी मलकपाडा बाडी हाल निवासी नरसिंह रोड धौलपुर
8. अनिल उपाध्याय 29–शैलेन्द्र उपाध्याय 30–बीरेन्द्र उपाध्याय पुत्रगण प्रेमबहादुर उपाध्याय जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण धौलपुर

––रेस्पोडेन्टस

––तरतीवी रेस्पोडेन्ट

अपील बिरूद्व नामान्तकरण संख्या 3 तारीखी 15.4.1975
ग्राम झोर तहसील धौलपुर ग्राम पंचायत पुरानी छावनी

उपस्थिति–श्री हरवीरसिंह एडवोकेट––अपीलान्टा की ओर से
श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट– रेस्पो0 सं0 2 की ओर से
श्री किशनसिंह त्यागी एडवोकेट–रेस्पां0 सं0 3, 4, 7, 28 से 30 की ओर से
श्री विजयसिंह एडवोकेट–रेस्पो0 संख्या 10 से 14 की ओर से
श्री निशान्त भार्गव एडवोकेट–रेस्पो0 संख्या 21 की ओर से
श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट– रेस्पो0 सं0 22 से 25 व 17 की ओर से

निर्णय

दिनांक– 29.12.2023

अपीलान्टा की ओर से अपील इन तथ्यो के साथ प्रस्तुत की गई कि तरतीवी रेस्पो0 28 लगा0 30 ने विवादग्रस्त आराजी मे से अपने हिस्से में विक्रय कर दिया है इसलिए उनके बिरूद्व कोई दादरसी नही चाही गई है। आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 7 बीघा 5 विस्वा, 156 रकबा 1 गीघा 12 विस्वा, 157 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, 160रकबा 1 बीधा 11 विस्वा बाके ग्राम झोर तहसील धौलपुर के खातेदार काश्तकार अपीलीन्ट के पिता स्व0 तुस्सी पुत्र आदिराम जाति कुशवाह निवासी झोर तहसील धौलपुर थे। स्व. तुस्सी पुत्र आदिराम का देहान्त लगभग जनवरी 1975 मे हो गया स्व0 तुस्सी के मात्र अपीलान्टा एवं अपीलान्टा का भाई बाबूलाल वारिस थे, दो सन्तानो के अलावा स्व0 तुस्सी के अन्य कोई पुत्र पुत्री नहीं थी

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

पीलान्टा की मां का देहान्त अपीलान्टा के पिता के जीवनकाल में हो गया था। तुस्सी का हान्त निवसीयत हुआ था उनके देहान्त के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के ताबिक अपीलान्टा एवं अपीलान्टा का भाई बाबूलाल, तुस्सी के द्वारा छोडी समस्त जायदाद राजी के 1/2–1/2 भाग के खातेदार काश्तकार हुए एवं काबिज हुए। अपीलान्टा की ादी हो गई थी इसलिए वह अपनी सासुराल मे रहती थी और अपने हिस्से की आराजी में बूलाल के साथ वहां से आकर सम्मिलित रूप से काश्त करती थी और अपने हिस्से की सल लेती रही बाबूलाल ने अपने जीवनकाल में कभी भी काश्त करने से नहीं रोका इसलिए पीलान्टा यह समझती रही कि स्व0 तुस्सी द्वारा छोडी समस्त आराजी पर बाबूलाल के साथ सके नाम का भी इन्द्राज हो गया है। बाबूलाल का भी देहान्त हो गया तथा आराजी शहर के जदीक आ गई इसलिए उसमे फसल करना भी बन्द हो गया इसलिए अपीलान्टा अधिकाशं पनी ससुराल में ही रहने लगी समय समय पर आकर अपनी आराजी की देखभाल करती ही। अब अपीलान्टा को घरू खर्च खानगी के लिए कुछ रूपयों की आवश्यकता हुई तो पीलान्टा ने अपनी आराजी को बिक्रय करना चाहा जिसके लिए अपीलान्टा दिनांक 0.3.2022 को अपनी आराजी को देखने गई तो वहां 4–5 व्यक्ति मिले उनसे पूछने पर उन्होने बताया कि ये खेत हमने ले लिये है अपीलान्टा ने कहा खेत हमारे है तो उन्होने कहा कि इन खेतो में तुम्हारा कुछ भी नहीं हैं उन व्यक्तियों में रेस्पोडेन्ट सुरेन्द्र कुमार था तब दिनांक 21.3.2022 को अपीलान्टा पटवारी हल्का के पास गई वह नही मिला पुनः दिनांक 22.3.2022 को पटवारी हल्का के पास गई तब पटवारी हल्का ने जमाबन्दी देखकर कहा कि इन नम्बरो के नये नम्बर बन गये है इनमें आपका नाम नहीं हैं तब दिनांक 23.3.2022 को अपीलान्टा ने भू अभिलेखागार से रिकार्ड दिखवाया तब पता चला कि अपीलान्टा के भाई बाबूलाल ने पटवारी हल्का से मिलकर बिना शजरा प्रमाणित कराये मात्र अकेले के नाम तुस्सी द्वारा छोडी गयी आराजी पर नामान्तकरण संख्या 3 भरवा कर सरपंच ग्राम पंचायत पुरानी छावनी से अपने नाम तस्दीक करा लिया है जो गलत है, अवैध है काबिल खरिजी है जिसकी नकल का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.3.22 को प्रस्तुत करवाया दिनांक 28.3.2022 को नकल प्राप्त हुई नकल प्राप्त होते ही बिना देरी के बकील साहब से राय लेकर अपील प्रस्तुत की गई है। पटवारी हल्का को शजरा प्रमाणित कराकर एवं समुचित जांच करने के बाद ही नामान्तकरण भरना चाहिऐ था एवं ग्राम पंचायत को पूर्ण जांच करने के पश्चात् ही नामान्तकरण तस्दीक करना चाहिए था ऐसा नही करने से कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की हैं। अपीलान्टा स्व0 तुस्सी का पुत्री है जिसका तुस्सी की आराजी में 1/2 भाग है एवं इसी अनुसार नामान्तकरण भरना चाहिए था। नामान्तकरण में ना तो अपीलान्टा का नाम अंकित किया गया ना ही अपीलान्टा को सूचना दी गयी एव ना ही अपीलान्टा को सुना गया इस कारण नामान्तकरण शून्य है। विवादित आराजी में अपीलान्टा का सीधा हित निहित है इसलिए अपीलान्टा को बिना धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अनुमति के अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। रिकार्ड

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

ने पर पता चला कि खसरा नम्बर 32 रकबा 7 बीघा 5 विस्वा को बाबूलाल ने अपीलान्टा साथ बेईमानी करने की नियत से 2/3 भाग अपनी पत्नि अंगूरी को एवं 1/3 भाग ोडन्ट संख्या 2 सुमन जैन का बिक्रय कर दिया बाद में इन लोगो ने बटंवारा करके उसके ना अलग नम्बर 464/32 रकबा 0.2429 हैक्टेयर, 465/32 रकबा 0.2124 हैक्टेयर, 6/32 रकबा 0.6148 हैक्टेयर, 467/32 रकबा 0.6112 हैक्टेयर, 468/32 रकबा 0.0882 क्टेयर, 469/32 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, वाके ग्राम झोर तहसील धौलपुर नये नम्बर कायम रा लिये है अब रेस्पोडेन्ट इन नम्बरों मे प्लाटिंग करके भूखण्ड बिक्रय कर उसमें मकानात निर्माण करने पर उतारू है इससे अपीलान्टा का भारी हानि होगी जिसकी भरपाई किसी प्रकार से नही की जा सकेगी। अपीलान्टा के द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 ाद अधिनियम एवं प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 03 ग्राम झोर, नकल जमाबन्दी सम्वत 022–26 ग्राम झोर, नकल मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 32, नकल जमाबन्दी सम्वत 2014, कल जमाबन्दी ग्राम झोर सम्वत 2076–79 खाता संख्या 138, 139, 140, 141, 142 एव ाजरा प्रमाण पत्र पार्षद नगर परिषद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर ावनी निरस्त किया जावे एवं पुनः जांच कर नामान्तकरण करने हेतु तहसीलदार धौलपुर को र्देशित किया जावे।

अपीलान्टा की ओर से अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ाया जिस पर विवादित आराजी के संबंध में दिनांक 17.5.2022 को अन्तरिम अस्थायी नेषेधाज्ञा जारी की गई।

अपील अपीलान्टा दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को तलब किया ाया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 5, 6, 8, 10 लगायत 15, 18, 19, 23, 25, 27 लगायत 30 के विरूद्व दिनांक 28,3,2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 24, 26 के विरूद्व दिनांक 25,8,2023 को एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 22 के विरूद्व दिनांक 29.9.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 22, 23, 24, 25, 27 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जा0 दी0 पेंश किया गया तथा छाया प्रति वयनामा दिनांक 15.2.1990, जमाबन्दी खाता संख्या 142, छाया प्रति आदेशिका प्रकरण विमल बनाम अंगूरी एवं छाया प्रति डिक्री दिनांक 11.01.2019 पेंश किये ये। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से छाया प्रति वयनामा दिनांक 23.6.98 एवं 3.1.2001, छाया प्रति निर्माण आज्ञा दिनांक 16.2.2022, छाया प्रति नामान्तकरण संख्या 476 दिनांक 24.7.2006, 626 दिनांक 17.8.2020 एवं 632 दिनांक 4.12.2020 पेंश किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 12,15,17, 22 से 25 व 27 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेंश किये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 22 से 25 व 27 की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति पेंश की गई जिसका जबाव अपीलान्टा की ओर से प्रस्तुत किया गया।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकार सुनी गई। विद्वान अभिभाषक ोलान्टा ने अपने तर्कों में अपील एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में अंकित तथ्यों दुहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजी अपीलान्टा के ता स्व0 तुस्सी की खातेदारी की भूमि थी अपीलान्टा एवं बाबूलाल मृतक तुस्सी के वारिस है न पर विवादित आराजीयात का वहिस्सा बराबर के अधिकार प्राप्त होते है। अपीलान्टा के ता तुस्सी के देहान्त के पश्चात् विरासत का अपीलाधीन नामान्तकरण खोला गया वह केवल बूलाल के नाम ही खोला जाकर ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित कर दिया गया नामान्तकरण के र्णय में मृतक के उत्तराधिकारियो की कोई जांच किया जाना अंकित नही है और ना ही मान्तकरण में कोई शजरा ही अंकित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्टा को सुनवाई ा अवसर दिये बिना ही नामान्तकरण का एकपक्षीय निर्णय कर दिया गया जो कानून के परीत है। अपीलाट मृतक तुस्सी की पुत्री एवं बाबूलाल की बहिन है रेस्पोडेन्ट सं. 12, 15, 7 द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के जबाव में अपीलान्टा को बुआ माना हैं इस प्रकार विवादित आराजी अपीलान्टा का सीधे तौर पर हित निहित है जिससे उसको वंचित किया गया है। जहां केसी पक्षकार का विवादित आराजी में सीधे तौर पर हित निहित होता है वहाँ पर वाद दायरी पूर्व धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अनुमति आवश्यक नहीं है। अपीलान्टा को बाबूलाल के ाम हुए इन्द्राजो की जानकारी अपील दायरी से कुछ दिन पूर्व हुई इस पर अपीलान्टा द्वारा ना देरी किये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम सहित अपील दायर कर दी गई विवादित आराजी में अपीलान्टा को उसके हितो से वंचित किया गया है। नामान्तकरण कार्यवाही में उत्तराधिकार का निर्धारण नही किया जा सकता, इस आधार पर अपील खारिज किये जाने पर विरासत के नामान्तकरण की कोई अपील आयेगी ही नही, यदि ऐसा होने लगा तो अपील दायरी से पहिले उत्तराधिकार तय कराना पडेगा। अपील में उत्तराधिकार तय नहीं कराया जाना है बल्कि अधिकारो के लिए निवेदन किया गया है मृतक के उत्तराधिकारी कौन कौन है यह साक्ष्य के आधार पर तय किया जाऐगा। अपीलान्टा द्वारा प्रस्तुत अपील ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश को निरस्त किये जाने के लिए है ग्राम पंचायत का आदेश विधि विरूद्व है। विवादित आराजी के संबंध में पश्चातवर्ती वयनामो/हस्तान्तरण से कोई प्रतिकूल प्रभाव अपील पर नहीं पडेगा वयनामा निस्फ हिस्से तक शून्य माने जावेगे अपने हिस्से से ज्यादा आराजी का बेचान करने पर हिस्सो की वैधता तक निर्णय देने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है। विवादित आराजी के संबंध में पूर्व का न्यायालय का निर्णय व डिक्री में अपीलान्टा पक्षकार नहीं थी और ना ही इसमें अपीलान्टा को सुना गया है। बाबूलाल के वारिसान द्वारा धारा 5 के जबाव में अपीलान्टा को अपनी बुआ माना है इस प्रकार अपीलान्टा का विवादित आराजी में 1/2 भाग निहित है और ग्राम पंचायत के द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण के निर्णय में मृतक तुस्सी के सभी वारिसान की कोई जांच नही कर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। उन्होने अपने तर्को में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2023 पेज 483, RLW 2005 पेज 432, RBJ 2022

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

259, RLW 2009 पेज 151, RBJ 2016 पेज 547 पेश की अपील अपीलान्टा स्वीकार कर
ाधीन नामान्तकरण पर ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय निरस्त कर पुनः नामान्तकरण की
वाही हेतु तहसीलदार को निर्देशित करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 22 से 25 व 27 का तर्क था कि
लान्टा तुस्सी की पुत्री नहीं हैं तुस्सी का एक मात्र वारिस पुत्र बाबूलाल थ जिसके पक्ष में
ब 48 वर्ष पूर्व विधिवत रूप से नामान्तकरण खुला उक्त नामान्तकरण को 48 वर्ष पश्चात्
पित नहीं किया जा सकता। उत्तराधिकार का बिन्दु नामान्तकरण में तय नहीं किया जा
ता नामान्तकरण की अपील संक्षिप्त कार्यवाही होती है जिसमें किसी के हित, अधिकार एवं
राधिकार तय नही किये जा सकते। विवादित आराजी पर काफी समय से कोई काश्त नहीं
है तथा मौके पर पुख्ता निर्माण हो रहे हैं विवादित आराजी के संबंध में न्यायालय द्वारा
रण उनवानी विमल बनाम अंगूरी में हित व अधिकार तय किये जा चुके है। प्रस्तुत अपील
द बाहर है रेस्पो. के पिता अब्दुल कदीर ने वयनामा दिनांक 16.2.1990 से क्रय किया था
नामा निरस्त नहीं होने की स्थिति में अपील पोषनीय नहीं हैं। अपीलान्टा अपीलाधीन
ान्तकरण में पक्षकार नहीं थी उसकी हैसियत अजनबी व्यक्ति की हैं उसके द्वारा अपील
यर करने से पूर्व धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अनुमति प्राप्त नहीं की है। उन्होने अपने तर्को
न्यायिक दृष्टान्त RRT 2012 पेज 374, 512, 1124, RRT 2010 पेज 626, RRT 2011 पेज 64,
1, RRT 2014 पेज 459, 441, RRT 2013 पेज 125, 546, 1089 पेंश की अपील अपीलान्टा
ारिज करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 का तर्क था कि अपीलान्टा द्वारा
स्तुत अपील में अपील के दिन रिकार्ड की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया हैं विवादित आराजी
अन्य व्यक्तियो के मकान बने है उनके पास वैध वयनामा है उनको अपील में पक्षकार नहीं
ाया गया है। अपीलाट तुस्सी की पुत्री नहीं है उसके द्वारा स्वंयं को तुस्सी की पुत्री होने के
ोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है अपीलान्टा ने नगर परिषद के पार्षद से प्रमाणित शजरा
ंश किया है जबकि विवादित आराजी ग्राम पंचायत क्षेत्र में है। मृतक तुस्सी की विरासत/
उत्तराधिकार सिविल न्यायालय से ही तय कराया जा सकता है किसी अन्य न्यायालय से
नहीं। न्यायालय की डिक्री से रेस्पो0 2, 3, 4 के अधिकार तय हो चुके है जब तक पूर्व में
ारी डिक्री को अपील के द्वारा निरस्त नही कराया जाता और उत्तराधिकार का निर्धारण
सिविल न्यायालय से नही कराया जाता नामान्तकरण की अपील पोषनीय नहीं है। वर्ष 1982 से
जो वयनामें हुऐ है सिविल कोर्ट से उन्हे निरस्त नही किया गया है अपीलाधीन नामान्तकरण
48 वर्ष पूर्व का है प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद नहीं है प्रस्तुत अपील में पूर्व रेस्पो0 संख्या 9 का
निधन हो चुका हैं उसके उत्तराधिकारियो को रिकार्ड पर लाने का कोई आवेदन प्रस्तुत नही
किया हैं। विवादित आराजी पर अपीलान्टा का कोई कब्जा नही है और ना ही कभी रहा है
उन्होने अपील अपीलान्टा खारिज करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत अपील एवं दस्तावेजातो का अवलोकन । अपीलान्टा के द्वारा प्रस्तुत अपील स्वंय के मृतक पिता तुस्सी की विरासत के न्तकरण ग्राम पंचायत पुरानी छावनी द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 03 दिनांक 15.04. ग्राम झोर के विरूद्व जिसमें अपीलान्टा का नाम विरासत के आधार पर दर्ज नही होने स्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि अपीलान्टा मृतक की पुत्री नहीं है वह तृतीय कार होने के कारण उसको अपील पेंश करने का अधिकार नही है उसके द्वारा अपील र करने की अनुमति नहीं ली गई है तथा अपील काफी विलम्ब से पेंश की गई है। प्रकरण स्तुत प्रमाणित शजरा के अनुसार अपीलान्टा को मृतक तुस्सी की पुत्री होना दर्शाया गया हीं रेस्पोडेन्ट संख्या 12, 15 व 17 द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम के जबाव में स्पष्ट अंकित या है कि अपीलान्टा उनकी एक मात्र बुआ है तथा स्व0 बाबूलाल व अपीलान्टा सगे भाई न है। रैस्पोडेण्ट संख्या 03 के द्वारा दिनांक 19.6.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र यह स्पष्ट न किया है कि अपीलार्थिया, रैस्पोडेण्ट संख्या 09 अंगूरी पत्नि बाबूलाल जो अपीलार्थीया खास भाभी है इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्टा और बाबूलाल भाई–बहन है र अपीलान्टा का स्व0 तुस्सी की विवादित आराजी में सीधे तौर अधिकार प्रभावित होने के रण उसको विवादित नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 96 जा0 दी0 के त अनुमति की आवश्यकता नही रहती है जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल राज0 ने RBJ 16 पेज 547 पर अवधारित किया है। प्रस्तुत अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 3 ग्राम झोर के नुसार ग्राम पंचायत पुरानी छावनी द्वारा विरासत का नामान्तकरण निर्णीत किया गया है न्तु अपीलाधीन नामान्तकरण पर अंकित भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारी की रिपोर्ट में मृतक वारिसान का कोई शजरा अंकित कर प्रमाणित नहीं किया है और ना ही नामान्तकरण पर शजरा का अंकन किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण पर पारित अपने निर्णय दिनांक 15.04.1975 में भी मृतक तुस्सी के वारिसान की जांच के संबंध में कोई अंकन ही किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण पर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत एवं विधि बिरूद्व जाकर निर्णय पारित किया गया है, और विधि विरूद्व रित निर्णय के बिरुद्व अपील करने का अधिकार पीड़ित पक्ष को प्राप्त होता है वह ऐसे निर्णय को कभी भी चुनौती दे सकता है। अपीलान्टा द्वारा अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तकरण का निर्णय विधि विरूद्व होने एवं अपीलान्टा के अधिकारो का हनन होने के कारण प्रस्तुत अपील अन्दर अवधि पेंश होना माना जावेगा तथा अपीलान्टा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा प्राप्त करने की अधिकारी होती है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तकरण में मृतक तुस्सी के वारिसान की जांच कर पुनः आदेश पारित किये जाने के लिए अपील प्रस्तुत करने की देरी को माफ किया जाना उचित प्रतीत होता है जैसा कि अपीलान्टा की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRT 2023 पेज 483, RBJ 2022 पेज 259 RLW 2009 पेज 151 में अवधारित किया गया

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

ाराने बहस अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 9 अंगूरी एवं 26 बहीदाखातून का देहान्त होने का आया है इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलान्टा की तर्क है कि इन दोनो के वारिसान ने ही अपील में पक्षकार है तथा रेसपो0 संख्या 9 को फौत दर्ज करने के लिए आवेदन किया जा चुका है दोनो के वारिसान पूर्व से अपील में पक्षकार होने से अपील पर कोई नही पडेगा विद्वान अभिभाषक अपीलान्टा के उक्त तर्क से हम सहमत है तथा प्रस्तुत में रेस्पोडन्ट संख्या 9 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 26 के वारिसान पूर्व से ही पक्षकार है। लान्टा द्वारा स्वयं एवं बाबूलाल को मृतक तुरसी का वारिस कहते हुए विवादित आराजी में भाग का नामान्तकरण स्वयं के पक्ष में किये जाने का निवेदन किया है, प्रस्तुत अपील के म से अपीलान्टा के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता किन्तु अपीलाधीन न्तकरण के निर्णय से पूर्व मृतक तुस्सी के सभी वारिसान की जांच होना आवश्यक है। लाधीन नामान्तकरण पर अंकित रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारी एवं ग्राम पंचायत अंकित निर्णय से स्पष्ट है कि विरासत का निर्णीत अपीलाधीन नामान्तकरण पर मृतक ी के वारिसान के संबंध में कोई जांच नही की गई है। इस प्रकार अपीलाधीन न्तकरण पर पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो एवं विधि के विपरीत है, जिसे स्त कर मृतक तुस्सी के सभी वारिसानो की जांच कर पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही या जाना उचित समझतें है। अतः हम अपील अपीलान्टा स्वीकार कर अपीलाधीन न्तकरण संख्या 3 ग्राम झोर पर पारित निर्णय दिनांक 15.4.1975 को निरस्त कर मृतक सी के सभी वारिसान की जांच कर उन्हे सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करके गुणावगुण के धार पर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु तहसीलदार को प्रति प्रेषित किया जाना उचित झते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्टा स्वीकार की जाती है तथा मान्तकरण संख्या 03 ग्राम झोर तहसील धौलपुर पर ग्राम पंचायत पुरानी छावनी द्वारा पारित र्णय दिनांक 15.4.1975 निरस्त कर तहसीलदार धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित या जाता है कि वह नामान्तकरण में वर्णित आराजी के संबंध में मृतक तुस्सी के वारिसानों जांच करे उन्हे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार र नामान्तकरण पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति पालना हेतु तहसीलदार धौलपुर को बित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल फ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)